



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 चैत्र 1943 (श०)
(सं० पटना 204) पटना, बुधवार 24 मार्च 2021

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचना
19 मार्च 2021

सं० जे०/डी०ई०मिस०-105/1996/2143/सी०—गृह विभाग (विशेष शाखा) की अधिसूचना संख्या—एस०ओ०-6962, दिनांक-28.12.2020 के अनुक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (सं०-65/1980) की धारा-3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी दिनांक-01.04.2021 से दिनांक-30.06.2021 तक अगले तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उपधारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव।

19 मार्च 2021

सं० जे०/डी०ई०मिस०-105/1996/2143/सी० का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव।

The 19th March 2021

No.- J/DE-Misc-105/1996/2143/C—In continuation of Home (Special) Department, Notification No.-6962 dated-28.12.2020 in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section-3 of the National Security Act, 1980 (No.-65/1980), the State Government has been pleased to direct that All District Magistrates of the state of Bihar shall exercise the powers conferred by sub section (2) of the said section within the local limits of their jurisdiction for a further period of three months from 01.04.2021 to 30.06.2021.

By order of the Governor of Bihar,

Jitendra Srivastava,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 204-571+100-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>